# राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र.

(मध्यप्रदेश शासन,  लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
चतुर्थ तल, पाठ्यपुस्तक भवन परिसर,
अरेरा हिल्स भोपाल – 462011
फ़ोन न.  2770874, 2770915, 2775227 E-mail – loksevamp@gmail.com

## <u>निविदा दस्तावेज</u>

निविदा क्रमांक 01/SAPS/2020 दिनांक –  27/01/2020

## राज्य लोक सेवा अभिकरण,  म.प्र.  द्वारा वाहन (टेक्सी) किराये पर लिए जाने बाबत

# राज्य लोक सेवा अभिकरण म . प्र .

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
चतुर्थ तल, पाठ्यपुस्तक भवन परिसर,
अरेरा हिल्स भोपाल – 462011
फ़ोन न. 2770874, 2770915, 2775227 E-mail – loksevamp@gmail.com

निविदा क्रमांक 01/SAPS/2020 दिनांक – 27/01/2020

## किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा

राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने हेतु दरों के मानकीकरण के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । निविदा दिनांक 17 फ़रवरी 2020 को दोपहर 03 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकती है । निविदा दिनांक 17 फ़रवरी 2020 को दोपहर 04 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा इनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी । वाहनों का टैक्सी कोटे में पंजीयन अनिवार्य है । निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें वेबसाइट https://mptenders.gov.in अथवा www.mpe-district.gov.in पर देखी जा सकती है ।

संचालक (प्रशासन)

कार्यालय
राज्य लोक सेवा अभिकरण
चतुर्थ तल म.प्र. पाठ्य पुस्तक भवन
अरेरा हिल्स, भोपाल

## <u>निविदा अनुसूची</u> : -

| | |
|---|---|
| प्री बिड मीटिंग(अभिकरण कार्यालय) | 03 फ़रवरी 2020, दोपहर 03 बजे |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | 17 फ़रवरी 2020, दोपहर 03 बजे तक |
| तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय | 17 फ़रवरी 2020, दोपहर 04 बजे |

### 1. <u>धरोहर राशि</u> :-

1.1 निविदाकर्ता इकाई को धरोहर राशि के रूप में राशि रु. 1,00,000/-(एक लाख) जो **mptenders** पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने के दौरान ऑनलाइन जमा की जाएगी।

1.2 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500/-।

1.3 असफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि को यथासंभव निविदाकर्ता इकाई के साथ अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात शीघ्र वापिस किया जाएगा ।

1.4 अभिकरण में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरुद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

1.5 निविदाकर्ता इकाई को उनके द्वारा दिए गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तों तथा दशाओं में परिवर्तन करने का कोई अधिकार या अनुरोध स्वीकार नहीं होगा । यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई अभिकरण के साथ अनुबंध नहीं करती है तो उसकी धरोहर राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

1.6 धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

### 2. <u>निविदाकर्ता इकाई की पात्रताएं (Eligibility)</u> :-

2.1 निविदाकर्ता इकाई का जी.एस.टी. नंबर एवं स्थाई आयकर नंबर(PAN) होना अनिवार्य है, जो संलग्न नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं की जाएगी ।

2.2 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उपलब्ध कराएँ जाने वाले वाहनों का कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार सभी परमिट होना अनिवार्य है ।

2.3 अभिकरण कार्यालय में प्रदाय किये जाने वाले समस्त वाहनों का टेक्सी कोटे में पंजीयन होना अनिवार्य है ।

2.4 निविदाकर्ता इकाई को कम से कम दो वर्ष का शासकीय कार्यालय(निगम/मंडल/अर्धशासकीय कार्यालय आदि) में मासिक दरों पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

2.5 निविदाकर्ता इकाई के पास कम से कम स्वयं में 06 वाहन पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसके लिए दरें चाही गयी है ।

2.6 निविदाकर्ता इकाई का टेक्सी व्यवसाय में गत तीन वर्ष का पृथक पृथक राशि रु.30 लाख का वार्षिक टर्नओवर होना आवश्यक है । इससे संबंधित पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र एवं आयकर विवरणी पत्रक UDIN नंबर सहित आवश्यक है।

2.7 निविदाकर्ता इकाई का भोपाल में स्थानीय कार्यालय होना आवश्यक है ।

## 3. निविदाकर्ताओं हेतु दिशा-निर्देश :-

3.1 निविदा प्रपत्र **mptenders** पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

3.2 निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व समस्त निविदाकारों को **mptenders** पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत वेंडर्स में से किसी एक से डिजिटल सिग्नेचर लेना भी आवश्यक है।

3.3 निविदाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा अवधि के दौरान अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर निम्नलिखित URL पर जाएं-

- https://mptenders.gov.in
- www.mpe-district.gov.in

## 4. निविदा ऑनलाइन जमा किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

4.1 निविदाकर्ता इकाई अपने प्रस्ताव ई-टेंडर के माध्यम से पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्रस्तुत करेगी।

4.2 ई-टेंडरिंग में भाग लेने के लिए निविदाकर्ताओं को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त निविदाकर्ता वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करके अपना पंजीयन करावें।

4.3 वेबसाइट https://mptenders.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं एवं उन निविदा दस्तावेज स्वीकार्य होंगे जिन्होंने ऑनलाइन भुगतान किया है।

4.4 गेटवे शुल्क निविदाकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

4.5 निविदाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अपनी निविदा पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समस्त निविदाकर्ताओं को डिजिटल हस्ताक्षर जल्द से जल्द बनवाने की सलाह दी जाती है।

4.6 डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए https://mptenders.gov.in का अवलोकन करें। साथ ही लेख है कि डिजिटल हस्ताक्षर का निर्माण होने में समय लगता है इसलिए निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह अपने डिजिटल हस्ताक्षर का निर्माण जल्द से जल्द करवा ले।

4.7 निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण और नियत तारीख विस्तार के लिए नियमित रूप से वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर जाएं।

4.8 निविदाकर्ताओं को किसी भी कारण से डाउनलोडिंग सुविधा की देरी एवं कठिनाइयों के लिए राज्य लोक सेवा अभिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

4.9 तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अभिकरण कार्यालय में ऑनलाइन खोला जाएगा।

4.10 ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया खोले जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- तकनीकी प्रस्तावों को ऑनलाइन खोलने की प्रक्रिया http://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।
- वित्तीय निविदा के परिणामों पर एजेंसी को सूचित करने की प्रक्रिया एमपी ई-प्रोक्योरमेंट के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

- वित्तीय निविदा खोले जाने की तारीख और समय ईमेल पर संबंधित निविदाकर्ताओं को भेजा जाएगा।
- सफल निविदाकर्ता की जानकारी https://mptenders.gov.in एवं www.mpe-district.gov.in पर देखी जा सकती है ।

## 5. निविदा स्वीकार करने का अधिकार :-

कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेंगे । कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा ।

## 6. वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध की शर्तें :-

6.1 निविदा के माध्यम से वाहन (टेक्सी) किराये पर लिए जाने हेतु दरों का मानकीकृत किया जावेगा जिसमें प्रथम न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी ।

6.2 भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार पथ/चुंगी टेक्स एवं अन्य समस्त लागू टेक्स इकाई द्वारा वहन की जावेगी ।

6.3 इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पिछले माह का देयक प्रस्तुत किया जाएगा । यदि इकाई द्वारा संतोषजनक सर्विस नहीं दी जाति है तो देयक से आनुपातिक राशि काट ली जाएगी ।

6.4 निविदा में दर्शायी गयी दरें पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए मान्य होगी एवं इस दौरान ईधन अथवा किसी अन्य टेक्स में बढ़ोत्तरी होने पर अभिकरण द्वारा दरों में बढ़ोत्तरी मान्य नहीं की जायेगी ।

6.5 वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन टेक्सी कोटे में होना अनिवार्य है तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश का परमिट होना अनिवार्य है ।

6.6 वाहन किराये की दरें समस्त करों सहित जिसमें ईधन तथा समस्त टेक्स आदि शामिल हो । दौरे पर जाने की स्थिति में अभिकरण कार्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान यथा रात्रि शुल्क प्रदाय नहीं किया जाएगा ।

6.7 वाहन चालक की व्यवस्था ट्रेवल्स एजेंसी के द्वारा की जाएगी तथा चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्च एजेंसी द्वारा नियमित रूप से प्रदान किये जायेंगे ।

6.8 वाहन चालक प्रतिदिन कार्य के लिए उपलब्ध होगा । विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य अवधि होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा । वाहन चालक के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में एजेंसी द्वारा वैकल्पिक करनी होगी ।

6.9 मासिक किराये के वाहनों से अभिकरण की आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य किया जावेगा । आवश्यकता पड़ने पर कार्य 24 घंटे भी हो सकता है ।

6.10 वाहनों की दरों में ईधन व्यय, समस्त कर व्यय, वाहन चालक एवं अन्य दायित्व सम्मिलित होगे ।

6.11 वाहन चालक के पास वैध कमर्शियल लाइसेंस का होना अनिवार्य है ।

6.12 वाहन चालक का बीमा होना अनिवार्य है ।

6.13 वाहन चालक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह मेडिकली फिट होना चाहिए । वाहन चालक का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।

6.14 वाहन उपयुक्त न होने पर अभिकरण के चाहे जाने पर वाहन निविदाकर्ता इकाई द्वारा बदला जाएगा ।

6.15 वाहन चालक का व्यवहार उपयुक्त न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसे बदला जाएगा ।

6.16 वाहनों के मूल कागजात यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा, टेक्सी कोटे में पंजीयन एवं फिटनेस आदि निविदाकर्ता इकाई द्वारा अभिकरण में अवलोकित कराएँ जायेंगे ।

6.17 वाहन किराये में 1100 किलोमीटर प्रतिमाह तक की यात्रा शामिल है ।

6.18 इकाई द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने से अभिकरण को हुई हानि की वसूली इकाई से वसूल की जाएगी । यह वसूली इकाई द्वारा प्रस्तुत देयकों, धरोहर राशि अथवा इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जाएगी ।

6.19 वाहन ख़राब होने की स्थिति में इकाई को वैसा ही वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा । व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में प्रतिदिवस राशि रु. 1,000/- (रु. एक हजार मात्र) कटौती की जाएगी । इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में बाजार से दूसरा वाहन किराये पर लिए जाने की स्थिति में भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि इकाई से वसूल की जाएगी । ड्राईवर की अनुपस्थिति अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था इकाई को करनी होगी अन्यथा राशि रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र) प्रतिदिन कटौती की जाएगी ।

6.20 राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

6.21 अनुबंधित इकाई, जिसे अभिकरण द्वारा कार्य दिया गया है, वह किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को संपूर्ण कार्य (Sublet) नहीं दे सकती ।

6.22 निविदाकर्ता इकाई द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आर्बिट्रेशन आदि के समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक की निविदाकर्ता द्वारा विधिवत कोई नया पता राज्य लोक सेवा अभिकरण को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है ।

6.23 निविदा अहस्तांतरणीय है ।

6.24 कार्यदिश के आधार पर अभिकरण द्वारा कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा । किसी भी बैंक/संस्था से लोन लेने हेतु इकाई की अभिकरण द्वारा अनुशंसा नहीं की जाएगी ।

6.25 निविदा में प्राप्त योग्य प्रस्ताव वही इकाई से अभिकरण 02 वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध निष्पादित करेगा एवं इस अवधि में अभिकरण आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेगा । प्राथमिक अनुबंध की अवधि निविदाकर्ता इकाई एवं अभिकरण के मध्य आपसी सहमति से अधिकतम 01 वर्ष अतिरिक्त बढाई जा सकेगी । निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

6.26 उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का पंजीयन माह जुलाई 2017 या उसके बाद का होना चाहिए|

6.27 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन ख़राब होने की स्थिति में उस पर हुए व्ययों को अभिकरण द्वारा वाहन नहीं किया जाएगा ।

6.28 वाहन के टायर ट्यूब अच्छी कंडीशन के तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिए ।

6.29 किराये पर लिए गये वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड़-फोड़ होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई उसके लिए उत्तरदायी होगी एवं समस्त खर्चे का वहन वाहन प्रदायकर्ता इकाई को करना होगा । यदि किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जायेंगे तो आदेश के पालन की संपूर्ण जबाबदारी भी वाहन प्रदायकर्ता इकाई की होगी ।

6.30 वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के समुचित रखरखाव की जिम्मेदारी निविदाकर्ता इकाई की होगी ।

6.31 वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य है। वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग का, प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार, प्रमाणीकरण लॉग बुक से कराना होगा। देयक (उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित) प्रस्तुत करते समय लॉग बुक की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6.32 वाहन के लॉग बुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयक का भुगतान किया जावेगा।

6.33 किराये पर लिए गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटोती तथा वाहन सेवा निरस्त करने के समस्त अधिकार कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. में निहित होगें।

6.34 अभिकरण (संबंधित अधिकारी) को निर्धारित समय व् स्थान पर वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। वाहन प्रदाय न किये जाने पर अधिकतम 03 सूचना पत्र दिए जावेंगे। इसके बाद आदेश की पुनरावृति होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई द्वारा कार्यालय में जमा धरोहर राशि को अभिकरण द्वारा राजसात की जाएगी एवं अनुबंध समय पूर्व तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

6.35 माइलोमीटर में गड़बड़ी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग हेतु निर्धारित दुरी से अधिक दुरी दर्शाने की दशा में सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार दूरी मान्य की जावेगी।

6.36 मासिक किराये पर लिया जाने वाला वाहन कार्यालय/अधिकारी आवास में खड़ा करना होगा। वाहन यदि अधिकारी के निवास पर रखा जाएगा।

6.37 टोल टेक्स, पथ कर एवं अन्य टेक्स जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी किये जायेंगे, वह वाहन प्रदायकर्ता इकाई को वाहन करने होगे।

7. **<u>आर्बिट्रेशन :-</u>**

अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में महानिदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. आर्बिटेटर होगें तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. **न्याययिक क्षेत्र :-**

भोपाल जिला न्यायालय न्यायियक क्षेत्र होगा।

9. **वैधानिक कटौतिया :-**

इकाई द्वारा प्रस्तुत देयक में से नियमानुसार टी.डी.एस. तथा अन्य वैधानिक कटौतिया अभिकरण द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई को एकाउंट पेई चेक या ई.भुगतान से किया जाएगा।

**संचालक (प्रशासन)**

## अभिवचन

1. मैं/हम यह अभिवचन करते है कि मैंने/हमने निविदा की शर्तो को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ किया है एवं इससे संतुष्ट है ।

2. यह अभिवचन करते है कि हमारा कोई निकट संबंधी राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल में कार्यरत नहीं है ।

3. यह भी अभिवचन करते है कि इस निविदा में दी गयी समस्त जानकारियाँ सत्य एवं सही है तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार है ।

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**

## अनुसूची–1

**<u>निविदाकर्त्ता के संबंध में जानकारी</u>**
**<u>प्राईवेट वाहन (टैक्सी) किराए पर लिए जाने हेतु</u>**

1. निविदाकर्त्ता/फर्म का नाम :– ..................................................................
2. निविदाकर्त्ता/फर्म का पता (मय दूरभाष एवं मोबाईल के) :– ...........................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................

3. निविदाकर्त्ता इकाई का प्रकार :– .............................................................

   (जैसे– व्यक्ति या पार्टनरषिप फर्म या कंपनी या शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम)
4. निविदाकर्त्ता का पेन/टेन क्रमांक :– ............................................................

   (फोटोकॉपी संलग्न करें)
5. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा अनुसूचियों पर हस्ताक्षर हैं, हॉ/नहीं

दिनांक

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

## अनुसूची–2

### वाहन किराये पर लेने हेतु दर पत्रक

इकाई का नाम :– ..........................................................................

इकाई का सर्विस टैक्स क्रमांक :– ..........................................................

इकाई का पेन/टेन नम्बर :– ..........................................................

**दरें (ए.सी. वाहनों हेतु, ईंधन व्यय, समस्त कर, व्यय, वाहन चालक एवं अन्य दायित्वों सहित)**

| क्रं. | वाहन का नाम | वाहन का मासिक किराया जिसमें 1100 किलोमीटर चलने का किराया सम्मिलित हो (डीजल सहित) | वाहन का मासिक किराया जिसमें 1100 किलोमीटर चलने का किराया सम्मिलित हो (डीजल अतिरिक्त) | 1100 किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर की दर (रूपये में) | दैनिक रूप से वाहन प्रदान करने पर दर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वाहन का नाम | किलोमीटर / प्रति दिन घंटे की दर (रूपये में) | अधिक चलने पर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर की दर (रूपये में) |
| 1 | स्विफ्ट, प्राइम या समकक्ष (एसी) | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | डिजायर/ जेस्ट (एसी) | कि.मी. –<br>समय –<br>दर - | |
| 2 | डिजायर/जेस्ट/ एसपायर/अमेज या समकक्ष (एसी) | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | क्रिस्टा (एसी) | कि.मी. –<br>समय –<br>दर - | |
| 3 | इनोवा/हौंडा सिटी/इतिओस या समकक्ष (एसी) | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | | | |
| 4 | क्रिस्टा (एसी) | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | अंकों में –<br>शब्दों में – | | | |



कार्यालय
राज्य लोक सेवा अभिकरण
चतुर्थ तल म.प्र. पाठ्य पुस्तक भवन
अरेरा हिल्स, भोपाल